समाचार-प्रकाशनार्थ:-

शहर में शेष चल रहे सीवरेज का कार्य 19 अप्रैल तक पूर्ण करें
निगम आयुक्त श्री झारिया ने दिये निर्देश
दो मुंह की बावड़ी की सफाई का कार्य प्रगति पर

रतलाम 13 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार नगर में डाली जा रही सीवरेज लाईन के अंतिम चरण का कार्य 19 अप्रैल तक पूर्ण कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सीवरेज कार्य स्थलों का निरीक्षण कम्पनी के इंजीनियरों के साथ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्थलों का निरीक्षण करते हुए सर्वप्रथम साक्षी पेट्रोल पम्प के पास चल रहे कार्य का निरीक्षण कया निरीक्षण के दौरान उन्होने साक्षी पेट्रोल पम्प से राधाकृष्ण मंदिर व टैंकर रोड तक डाली जाने वाली सीवरेज पाईप लाईन के संबंध में आ रही परेशानियों को दूर करने हेतु पूर्व पार्षद श्रीमती सीमा टांक के साथ स्थल का निरीक्षण कर समस्या का निराकरण कया।

निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने कम्पनी के इंजीनियर को निर्दे शत कया क जहां-जहां सीवरेज का कार्य कया जा रहा है वहां पर नागरिकों की जानकारी के लये अनिवार्य रूप से फ्लेक्स बैनर लगाया जाये जिस पर कार्य का नामए स्थानए कार्य आरंभ दिनांकए संभा वत कार्य पूर्णता दिनांए पी.डी.एम.सी. इंजीनियर का नाम व प्रोजेक्ट इंजीनियर का नाम अं कत हो।

सैलाना बस स्टैण्ड चौराहे के निरीक्षण के दौरान वहां लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्थल का समतलीकरण कर पानी डालने व मुरम चुरी डालने व इसके पश्चात नियम समयाव ध में रिस्टारेशन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसके अलावा चेतक ब्रीज से फर्स्ट चर्च तक का कार्य 19 अप्रैल तक पूर्ण करने निर्देश संबं धत को दिये।

इसके पश्चात निगम आयुक्त श्री झारिया ने दो मुंह की बावड़ी का निरीक्षण कया जहां पर सफाई का कार्य प्रगति पर पाया गया। आरोग्य हास्पीटल से नगर निगम तिराहे तक डाली जा रही सीवरेज पाईप लाईन के कार्य के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया संसाधनों एवं कर्मचारियों की संख्या में वृ द्ध कर कार्य 19 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करें।

इसी तरह दौलतगंज में गेलेड़ा नमकीन से घांस बाजार तक के निरीक्षण के दौरान निर्दे शत कया क कार्य में ओर अ धक गति लाई जाये साथ ही खुदाई के दौरान पेयजल पाईप लाईनए नल कनेक्शन व दूरसंचार इत्यादि की केबल क्षतिग्रस्त ना हो इसका वशेष ध्यान रखा जाये।

तोपखाना से चांदनी चौक तक के क्षेत्र में समतलीकरण व पानी डालने व समय सीमा में रिस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने संबं धत को दिये। इसी तरह हाट रोड चौराहा व हाट रोड पु लस चौकी के पास तथा लौहार रोड चौराहे पर चल रहे कार्य का भी निरीक्षण निगम आयुक्त श्री झारिया ने कर कार्य 19 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। इस दौरान खटीक मोहल्ला में वर्षो पुरानी नाली की जाम समस्या के निराकरण हेतु क्रॉस डे न कार्य का निरीक्षण कया जहां कार्य प्रगति पर पाया गया।

निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया क हाट की चौकी चौराहा पर 200 एम.एम. डाया की 50 मीटरए आशीर्वाद न र्संग होम गली से हाट रोड पर पु लस चौकी तक 200 एम.एम. डाया की 150 मीटरए भांभी मोहल्ले से गौशाला चौराहा तक 160 एम.एम. डाया की 50 मीटरए गेलड़ा नमकीन से चमारिया नाका तक 200 एम.एम. डाया की 700 मीटरए नागरिक वश्राम गृह से आरोग्य हॉस्पिटल तथा निगम तिराहे तक 160 एम.एम. डाया की 230 मीटरए सैलाना बस स्टैण्ड पर व्यास बैकरी से महाराणा प्रताप प्रतिमा तक दोनो तरफ 160 एम.एम. डाया की 150 मीटरए द्वारका रेसीडेंसी से राम मंदिर तिराहा तक तथा सन सटी से अरिहंत कॉलेज तक (सैलाना रोड) 200 एम.एम. डाया की 2392 मीटर व सांव लया बिल्डिंग मटेरियल टैंकर रोड से शनि मंदिर गली तक 160 एम.एम. डाया की 350 मीटर व

पूर्व पार्षद श्रीमती सीमा टांक के घर से साक्षी पेट्रोल पम्प तक 200 एम.एम. डाया की 120 मीटर पाईप लाईन बिछाने का कार्य कया जा रहा है।

उक्त अवसरो पर सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए ठेकेदार के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री रमेश भाईए श्री रोहित भाईए पीडीएमसी इंजीनियर श्री मोहित शर्माए श्री वैभव शर्माए पूर्व पार्षद श्रीमती सीमा टांकए श्री श्रे णक जैनए श्री पवन शर्मा आदि उपस्थित थे।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिदिन कया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 13 अप्रैल। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम के व भन्न वाहनों के माध्यम से सो डयम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज कया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन कया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व टे्क्टर ट्रॉली से नगर के व भन्न क्षेत्रों की सड़कोंए ग लयोंए भवन आदि को 1 प्रतिशत सो डयम हाईपोक्लोराईड मलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज कया जा रहा है। इसके अलावा 50 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मे डकल कॉलेजए माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रए शासकीय कार्यालय आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य कया जा रहा है।

नगर के सेनेटराईज कये जाने के साथ ही स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य कया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व ना लयों में कीटनाशक दवा का छिड़काव कया जा रहा है।

मास्क नहीं लगाने पर होगा जुर्माना

रतलाम 13 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार को वड-19 ;नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं

लगाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।
म.प्र. लोक स्वास्थ्य अ धनियम-1949 के अन्तर्गत को वड-19 ;नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अ धसू चत कया गया है। उक्त बीमारी संक्र मत वस्तु को स्पर्श तथा संक्र मत व्यक्ति के छींकनेए खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य कया गया है। नागरिकों से अपील है क वे अनिवार्य रूप से मास्क लगायें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

सावधानी रखे और कोरोना महामारी से बचें

रतलाम 13 अप्रैल । नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कहां है क अपने घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हुए को वड-19 महामारी से बचाव के लए तय कए गए नियमों का पालन करे और अपने और अपने परिवार को कोरोना से बचाए। यह समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतने का है। नगर निगम अपनी अपनी टीम के माध्यम से लोगों को जागरुक करने का प्रयास निरन्तर कर रही है।
कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में सफाई मत्र समूह की टीम नगर के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को कोरोना से बचाव के तरीके वस्तार से समझा रही है। इस मौके पर रांगोली के माध्यम से भी लोगों को मास्क पहननाए दो गज की दूरी और हाथों की सफाई आदि पर वशेष ध्यान दिलाया जा रहा है।
आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों से अपील की है क कोरोना की इस दूसरी लहर में सभी नागरिक पूरी तरह से सचेत व जागरुक रहकर अपनी सुरक्षा करे।
उन्होने नागरिकों से आव्हान कया है क लॉक डाउन के दौरान भी करानाए दूध और सब्जी खरीदी के बाद अपने हाथों व घरों में आई

सामग्री को सैनेटाईज करे। घर या दुकान से निकलने से पहले गुणवत्ता वाला मास्क ही पहने ता क आपकी संक्रमण से सुरक्षा हो सके।

दो दै.वे.भो. कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कये जाने का सूचना पत्र जारी

4 कर्मचारियों को वार्ड प्रभारी बनाया

रतलाम 12 अप्रैल । कार्य में लापरवाही बरतने व वरिष्ठ अ धकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य वभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी राकेश मेहता व संदीप शर्मा का तीन दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त कये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

स्वास्थ्य वभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी राकेश मेहता व संदीप शर्मा द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 से संबं धत महत्वपूर्ण कार्य करने से इन्कार कया गया व वरिष्ठ अ धकारियों के आदेश की अवहेलना कये जाने पर तीन दिवस का वेतन काटा सेवा से बर्खास्त कये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

इसके अलावा श्रीमती मोनिका चौहान को वार्ड क्रमांक 8ए श्री सतीश चौहान को वार्ड क्रमांक 17ए श्री वनोद चावरे को वार्ड क्रमांक 21 व श्री नयन- वजय शन्दे को वार्ड क्रमांक 37 का वार्ड प्रभारी नियुक्त कया गया।

नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता में रतलाम नगर बनेगा नम्बर 1

नगर के सभी 49 जीरो वेस्ट वार्डो में घर-घर से कया जा रहा है कचरा एकत्रीकरण

रतलाम 13 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है जिसके तहत स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी कया जा रहा है इस कार्य में रतलाम नगर के नागरिक भी जागरूक हो चुके है नागरिकों के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में नम्बर 1 बनेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने से वार्डो की सड़कोंए ग लयों एवं ना लयों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरोए दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वंय गीले एवं सूख्खे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग कया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कया जाकर रैग पकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित कया जा रहा है।

वार्डो में कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पकर्स महिलाए आई.ई.सी. टीम के सदस्यए वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित कया गया। नागरिकों से अपील जाती है क वे अपने घरो एवं दुकानांे से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे^a चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिकए रबरए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एप्रीनए ग्लबसए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इस लये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद कया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें क इसका भण्डारण कहां होता है व वक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संब धत की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन कया जाये।

निगम अ धकारी एवं कर्मचारी कोरोना का
दुसरा टीका अनिवार्य रूप से लगवायें

रतलाम 13 अप्रैल। नगर निगम के अ धकांश अ धकारी एवं कर्मचारियों ने कोरोना का दुसरा टीका लगवा लया है कन्तु कुछ अ धकारी एवं कर्मचारी दुसरे चरण के टीके से वं चत है वे अपनी व अपनों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से टीका लगवायें।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क कोरोना जैसी महामारी से आप सभी सुर क्षत रहे यह शासन एवं नगर निगम का उद्देश्य है । टीकाकरण से शेष रहे अ धकारी एवं कर्मचारी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित टीकाकरण केन्द्र पर उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से टीका लगवायें। ऐसे अ धकारी एवं कर्मचारी जो क टीकाकरण में रू च नहीं दिखा रहे है उनके वरूद्ध नगर निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 13 अप्रैल । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 13 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 13 अप्रैल । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद

अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 13 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/13ण04ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.